अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारास्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
ग्राम मुगालिया कोट (सूखी सेवनिया) विदिशारोड़, भोपाल (म.प्र.)-462010
दूरभाष : 0755-2558606, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in , अणुडाक : abvhvstudycenter@gmail.com

क्रमांक/अ.के./1027/2022/अबिवाहिंविवि./ भोपाल, दिनांक 07/06/2022

अधिसूचना

अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के संचालन एंव प्रबंधन के लिए अध्ययन केन्द्र संचालित करने अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसे सभी अध्ययन केन्द्रों से सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय से **निरंतरता प्राप्त** करने हेतु अधिसूचना क्र.अ.के/1016/2022/अबिवाहिंविवि भोपाल दिनांक 04/04/2022 जारी की गई थी जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/04/2022 निर्धारित की गई थी इसी तारतम्य में दिनांक 08/06/2022 से 10/06/2022 तक कार्यालयीन समय में निरंतरता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि की जाती है। (परिशिष्ट क)

निरंतरता हेतु सत्र 2022-23 के लिए आवेदन करने वाली संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क राशि रू. 30,000/- (रू.तीस हजार मात्र) बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता क्रमांक 13430100012347, IFSC कोड BARB0SUKHIS , सूखी सेवनिया के खाते में ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। जमा की गई शुल्क की रसीद को आवेदन के साथ अनिवार्यता संलग्न करना होगा तथा आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर शुल्क जमा करने संबंधी विवरण की प्रविष्टि भी करना होगी।

जिन आवेदन समिति/संस्थाओं ने पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 19/04/2022 तक आवेदन शुल्क रू. 30,000/- भुगतान कर दिया था किन्तु कतिपय कारणोवश आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर पाये थे ऐसी समिति/अध्ययन केन्द्र निर्धारित तिथि 08/06/2022 से 10/06/2022 तक कार्यालयीन समय में निरंतरता आवेदन पत्र में भुगतान की गई शुल्क की रसीद संलग्न कर विश्वविद्यालय जमा कर सकते है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक/अबिवाहिंविवि/2022/अ.के./1013 भोपाल, दिनांक 01/04/2022 द्वारा अध्ययन केन्द्रों के उद्देश्य नियम एवं शर्तें अधिसूचित की गई जिसकी प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट **www.abvhv.edu.in** पर उपलब्ध हैं। इसकी प्रति इस अधिसूचना के साथ भी संलग्न हैं। यह आवेदन इन नियमों एवं शर्तो के अनुरूप होगा एवं इन्ही नियमों के अनुसार ही आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी। (परिशिष्ट ख)

अध्ययन केंद्र की निरंतरता के लिए आवेदन करने वाली समिति को अध्ययन केंद्रों की निरंतरता के लिए आवेदन करने संबंधी निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.abvhv.edu.in से डाउनलोड कर, उसमें सभी प्रविष्टियाँ भरकर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक संलग्नों को प्रमाणपत्रों, प्रपत्रों, दस्तावेजों, किरायानामा, जमा की गई निर्धारित शुल्क की रसीद की छायाप्रतियों को आदि के साथ कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ग्राम मुगालिया कोट सूखी सेवनिया विदिशा रोड़, भोपाल (म.प्र.)462038 के कार्यालय में अनिवार्यतः 10/06/2022 तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक, स्पीडपोस्ट, व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्र वाहक के माध्यम से अनिवार्यतः जमा करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक में विलम्ब हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

निरंतरता हेतु आवेदन पत्र, अध्ययन केंद्र की ई-मेल abvhvstudycenter@gmail.com पर भी जमा कर सकते है। ऐसी संस्था जो निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व ई-मेल के माध्यम से आवेदन करते हैं उन्हें आवेदन की मूलप्रति तत्काल विश्वविद्यालय के कार्यालय में निर्धारित अंतिम

तिथि दिनांक 10/06/2022 तक कार्यालयीन समय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। अन्यथा निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः अमान्य हो जायेंगें।

निम्नलिखित जानकारी के साथ निरंतरता आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करेः-

1. ऐसे अध्ययन केन्द्र जो विगत वर्ष संचालित पते से उसी गाँव/कस्बे/शहर में केन्द्र का स्थान पुराने भवन से नवीन भवन में स्थानन्तरित करना चाहते है तो उन्हें निर्धारित शुल्क के साथ निरंतरता आवेदन पत्र में यथास्थान पर नवीन पता एवं शुल्क का विवरण उल्लेखित करना होगा। इसके लिए पृथक से आवेदन करने के लिए कोई तिथि घोषित नहीं की जावेगी। अतः उक्त निर्धारित तिथि में ही आवेदन करना होगा।
2. जिन अध्ययन केन्द्रों को सत्र 2022-23 के लिये नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है तो उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ निरंतरता के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में यथासमय नवीन पाठ्यक्रमों एवं शुल्क का विवरण भी उल्लेख करना अनिवार्य है। नवीन पाठ्यक्रमों की निरंतरता आवेदन पत्र में ही करना होगा। इसके लिए पृथक से आवेदन करने के लिए कोई तिथि घोषित नहीं की जावेगी। अतः उक्त निर्धारित तिथि में ही आवेदन करना होगा।
3. वि.वि.द्वारा सत्र 2022-23 के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गये है, उनके संचालन की अनुमति के लिए प्रत्येक जिले में विगत वर्षो से संचालित अध्ययन केंद्रे एवं नवीन सत्र में संचालन की अनुमति प्राप्त अध्ययन केन्द्रों के लिए निर्धारित की गई अधिकतम संख्या में ही अध्ययन केन्द्रों को नवीन पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति दी जावेगी। इससे संबधित विवरण अध्ययन केन्द्रों के उद्‌देश्य,नियम एवं शर्तो दिया गया है।
4. विगत वित्तिय वर्ष 2021-22 की (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)की अवधि का ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार संलग्नः-

1. शैक्षणिक सत्र 2022-23 की निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना। (परिशिष्ट -क)
2. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की गई उद्देश्य, नियम एवं शर्तें। (परिशिष्ट-ख)

आदेशानुसार

(यशवंत सिंह पटेल)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/128/अ.के./2022/अबिवाहिंविवि./ **भोपाल, दिनांक07/06/2022**

प्रतिलिपिः-

1. वित्त अधिकारी, अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सह निदेशक अध्ययन केंद्र,अबिवाहिविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आई.टी.सेल प्रभारी, अबिवाहिविवि,भोपाल की ओर वेबस्थल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
4. परीक्षा/गोपनीय/अकादमी, अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से मा.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
6. कुलसचिवजी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।

कुलसचिव